राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/01525 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

विज्ञप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती (दिनांक 14 अप्रैल, 2026) के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने हैं। इस पुरस्कार में केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा, नकद राशि नहीं दी जायेगी। अतः पुरस्कारों के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव/आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र.सं	पुरस्कार	पात्रता की शर्तें/बिन्दु
1	जिला स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	1. व्यक्ति संबंधित जिले का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रहे हों। 4. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में संस्था/व्यक्ति की उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। 5. संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये गये हों।
2	जिला स्तरीय अम्बेडकर महिला पुरस्कार	1. महिला संबंधित जिले की मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/महिला कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। 4. महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में संस्था/महिला का उल्लेखनीय योगदान रहा हो। 5. संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किये गये हों।
3	जिला स्तरीय अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	1. अधिवक्ता संबंधित जिले का मूल निवासी हो। 2. जिला कलक्टर तथा जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। (प्रत्येक का पृथक्–पृथक् प्रमाण पत्र) 3. अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, जिला न्यायालय निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी की गई हो। ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुए प्रभाव। 4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

नोटः–आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.04.2026 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। गत वर्षो में पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नही करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट https://sje.rajasthan.gov.in एवं जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संबंधित जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ASHISH MODI <ASHISHMODI.KGP@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :13-03-2026 02:31:23

RajKaj Ref No.: 21021331
eSign DSC

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/01525 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

राजस्थान, जयपुर

विषयः–वर्ष 2026 जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कारों के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जिला स्तरीय भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार वर्ष–2026 का वितरण किया जायेगा। अतः संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एव दैनिक भास्कर के राजस्थान से प्रकाशित सभी संस्करणों में डी.आई.पी.आर. द्वारा निर्धारित साईज एवं दरों पर प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में भिजवाने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशीष मोदी)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/01525 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
2. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यालय को विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु।
3. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तरीय भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर पुरस्कारों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 43622 दिनांक 24.07.2019 की पालना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ASHISH MODI <ASHISHMODI.KGP@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation: Director
Date :13-03-2026 02:31:22

RajKaj Ref No.: 21021508

eSign DSC